ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादन किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती भारती	01.04.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री महेन्दर कुमार	01.04.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सेरी के लेखों की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	₹ 39.59
2	6(क)	गृह कर की वसूली न करना	₹ 0.29
3	6(ख)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	₹ 0.05
4	8(क)	रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को भुगतान	₹ 11.47

5	8(ख)	टीडीएस की कटौती न करके वसूली न करना	₹ 0.09
6	09(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	₹ 03.39
7	09(ङ)	रॉयल्टी वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करके व्यय करने बारे ।	₹ 02.22

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22-10-2024 से 30-10-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**04/22**	**01/23**
2023-24	**05/23**	**03/24**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-gpseri/14 दिनांक:-30.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत सेरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत सेरी, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	3352954.2	4866828	8219782.2	5597437	2622345.2
2023-24	2622345.2	1337932	3960277.2	1110428	2849849.2

(ii) 15 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत सेरी, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2022-23	1572487	1070543	2643030	1207595	1435435
2023-24	1435435	434282	1869717	760322	1109395

Bank accounts detail of Gram Panchayat seri:-

Bank name	**Account no.**	**Name of head**	**Closing balance as on 31.03.2024 (₹)**
H.P Gramin Bank,Movi Seri	87660100002567	15th FC	1109395
H.P Gramin Bank,Movi Seri	87660100002702	RGSA	3583
H.P Gramin Bank,Movi Seri	8766010000506	Nidhi & other heads	2826534.20
PNB Bank,Gohar	0580000105066001	WDF	19732
			3959244.20

बैंक समाधान विवरणी :-		
स्व स्त्रोत व अनुदान व 15वां वित्त आयोग :-		
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		**3959244.20**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		3959244.20
अन्तर की राशि		**शून्य**

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	15833007.43	0	15833007.43	15833007.43	0
2023-24	0	17386315.99	0	17386315.99	17386315.99	0

(v) एसबीएम

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	371703	0	371703	371703	0
2023-24	0	0	0	0	0	0

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत सेरी के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये ।

(ख) अनुदान ₹ 39.59 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत सेरी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹39,59,244.20 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i),4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत सेरी द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 0.29 लाख की वसूली न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सेरी के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ग)** अनुसार **₹ 28810** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना राशि ₹0.05 लाख

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रसं.PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारीयों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान ₹4425/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	वर्ष	प्राप्त शुल्क (₹)
1.	2022-23	1425
2.	2023-24	3000
	कुल जोड़	4425

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बन्धित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जो की उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPseri/06 दिनांक:-23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अधियाचना संख्या gpseri/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जी की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया की प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी ऐजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके । अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जाति जोकि

नियमो के विरुद्ध था । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/gpseri/05 दिनांक-23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था,जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसेरी/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी । जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फ़र्निचर हीटर व पंखे ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए केवल 15 कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था । पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था । अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpseri/04 दिनांक 23.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसेरी/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8 (क) रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 11.47 लाख का भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स'या 'डबल्यू' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023- 34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "एक्स"या "डबल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सेरी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न **"परिशिष्ट -घ"** अनुसार ₹1147925.87 का अनियमित भुगतान किया गया । इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpseri-12 दिनांक 23.10.2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.09 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत सेरी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 8121 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि(excluded gst amount) (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
सामान्य निधि							
1	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	700/04.05.2022	वाउचर संख्या 28/सामान्य निधि	जेसीबी कटिंग	109512	2.00%	2190
2	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल	700/04.05.2022	वाउचर संख्या	जेसीबी ब्रेकर	100880	2.00%	2018

	चौक तहसील चच्योट जिला मंडी		28/सामान्य निधि				
3	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	803/06.06.2022	वाउचर संख्या 28/सामान्य निधि	जेसीबी कटिंग व ब्रेकर वर्क	96340	2.00%	1927
4	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	802/06.06.2022	वाउचर संख्या 28/सामान्य निधि	जेसीबी कटिंग व ब्रेकर वर्क	99305	2.00%	1986
	योग				**406037**		**8121**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/gpseri/13 दिनांक-29.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसेरी/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹03.39 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹ 339000 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	875/25.10.2022	Manrega	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	ACP Sheets	125500

2	876/25.10.2022	Manrega	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	ACP Sheets	125500
3	877/25.10.2022	Manrega	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	ACP Sheets	88000
	कुल				**339000**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/gpseri/25.10.2024 दिनांक 25.10.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसेरी/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर जिला मंडी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरों/ बिलों को ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित अदायगी धारित नही किया गया था । इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था । अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षरित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा,

संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/gpseri/09 दिनांक-24.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसेरी/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ग) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर जिला मंडी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मैंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	359	74	285	633	475	475	33347	138	240210	206863
2023-24	436	143	293	651	557	557	45075	218	238010	192935

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPseri/07 दिनांक:-24.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या gpseri/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा-परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(घ) दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित पंचायत सदस्यों की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति सामान दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में दर्ज की गयी है जो कि अनियमित है। उपरोक्त अनियमितता का विवरण निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Mstr. No.	Name of Work	Name	Total Working Days	Actual Working Days	Extra Days	Rate	Amount (₹)
1	14415/ 14.02.2024	c/o paver road from kheel to dohra nala	Smt. Sumitra devi	10	09	1	240	240
							कुल योग	**240**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- DK/MANDI/SAD/2024/gpseri/11 दिनाँक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके

प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसेरी/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सदस्यों को दोहरा भुगतान किया गया था जिसे वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा व लेखापरीक्षा से अवगत करवाया जाएगा । अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) रॉयल्टी वसूली से प्राप्त ₹ 02.22 लाख की राशि को सरकारी कोष में जमा न करके व्यय करने बारे ।

ग्राम पंचायत सेरी विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रॉयल्टी के रूप में कटौती की गयी ₹ 221831 की राशि को पंचायत में ही रखा गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशियों को सरकारी कोष में जमा किया जाना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा इन राशियों को या तो खर्च कर दिया गया अन्यथा पंचायत निधि में ही रखा गया जोकि सरकारी धन के दुरुपयोग को दर्शाता है । जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. No	Receipt No.	Name	Amount (₹)
1	828273/02.04.22	manoj kumar	19264
2	828274/04.04.22	thakar dass	11522
3	828903/16.08.22	thakar dass	28120
4	828904/16.08.22	hari om	15200
5	828923/11.01.23	thakar dass	47725
6	828930/07.02.23	hari om	100000
		Total	**221831**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः DK/MANDI/SAD/2024/gpseri-10 दिनाँक 26.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सेरी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर पत्र संख्या जीपीसेरी/01 दिनांक 30.10.2024 द्वारा सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रॉयल्टी से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करके व्यय किया गया था जिसे अब अंकेक्षण के सुझावानुसार वसूल करके संबन्धित विभाग में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. **(क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न

करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत चैल चौक द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि०प्र० पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

6264-6268 का0/छ0 26 DEC 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 158/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

26 DEC 2024 का0/छ0

पैरा संख्या - 5(i)
परिशिष्ठ -(क)

(22)

Financial position of nidhi & other grants in aid of Gram Panchyat Seri					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	3352954.2	4866828	8219782.2	5597437	2622345.2
2023-24	2622345.2	1337932	3960277.2	1110428	2849849.2

Note:- OB taken as per bank Pass book

पंचायत सचिव / सहायक
ग्राम पंचायत सेरी
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या – 4 (ii)
परिशिष्ट – (ख)

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat Seri

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1572487	1070543	2643030	1207595	1435435
2023-24	1435435	434282	1869717	760322	1109395

Note – Opening Balance taken as per Bank Pass book

पंचायत सचिव / सहायक
ग्राम पंचायत सेरी
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

Bharti

पैरा संख्या - 4(iv)

24

Financial position of SBM fc of Gram Panchyat Seri					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	0	371703	371703	371703	0
2023-24	0	0	0	0	0

पंचायत सचिव/सहायक
ग्राम पंचायत सेरी
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

18

पैरा संख्या - 6 (क)
परिशिष्ठ - (ग)

(25)

कार्यालय ग्राम पंचायत सेरी

विकास खंड गोहर तहसील चच्योट जिला मंडी हिमाचल प्रदेश 175029

कार्यवाही प्रपत्र

Detail of House Tax 2022-23 and 2023-24

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	पिछला शेष	गृह कर की दर	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशी	कुल वसूली योग्य राशी	वसूल की गयी राशी	बकाया गृह कर की राशी
2022-23	611	10410	50	30550	40960	24500	16460
2023-24	621	16460	50	31050	47510	18700	28810

पंचायत सचिव / सहायक
ग्राम पंचायत सेरी
विकास खण्ड गोहर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या 08(क)

परिशिष्ठ-(घ)

ग्राम पंचायत सेरी

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि
	मनरेगा								
1	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	206/21.01.2024	बजरी	21780	12.00	1.52	18.24	80	1459
2	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	218/06.03.2024	बजरी	74415	41.00	1.52	62.32	80	4986
3	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	208/22.01.2024	बजरी	72600	40.00	1.52	60.80	80	4864
4	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	220/07.03.2024	बजरी	65340	36.00	1.52	54.72	80	4378
5	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	201/20.01.2024	बजरी	6606.6	3.64	1.52	5.53	80	443
6	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	202/20.01.2024	बजरी	7388.62	4.08	1.52	6.20	80	496
7	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	989/05.01.2024	पत्थर	73750	50.00	2.24	112.00	80	8960
8	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	990/05.01.2024	पत्थर	36875	25.00	2.24	56.00	80	4480
9	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	991/10.01.2024	पत्थर	73750	50.00	2.24	112.00	80	8960
10	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	992/10.01.2024	पत्थर	36875	25.00	2.24	56.00	80	4480

11	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	217/21.02.2024	बजरी	83490	46.00	1.52	69.92	80	5594
12	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	222/07.03.2024	बजरी	18150	10.00	1.52	15.20	80	1216
13	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	1001/24.01.2024	पत्थर	59000	40.00	2.24	89.60	80	7168
14	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	221/07.03.2024	बजरी	37933.5	20.90	1.52	31.77	80	2541
15	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	209/22.01.2024	बजरी	14520	8.00	1.52	12.16	80	973
16	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	1000/24.01.2024	पत्थर	18835.75	12.77	2.24	28.60	80	2288
17	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	995/12.01.2024	पत्थर	19175	13.00	2.24	29.12	80	2330
18	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	204/21.01.2024	बजरी	23595	13.00	1.52	19.76	80	1581
19	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	987/05.01.2024	पत्थर	15487.5	10.50	2.24	23.52	80	1882
20	हिमालयन सर्विस नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन साई रोड बद्दी	205/21.01.2024	बजरी	23595	13.00	1.52	19.76	80	1581
21	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	524/30.12.2022	रेत	14820	12.00	1.62	19.44	80	1555
22	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	524/30.12.2022	बजरी	6340	4.00	1.52	6.08	80	486
23	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	515/30.12.2022	रेत	20007	16.20	1.62	26.24	80	2100

24	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	515/30.12.2022	बजरी	48342.5	30.50	1.52	46.36	80	3709
25	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	521/30.12.2022	रेत	49769	31.40	1.62	50.87	80	4069
26	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	521/30.12.2022	बजरी	20995	17.00	1.52	25.84	80	2067
27	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	517/30.12.2022	रेत	53890	34.00	1.62	55.08	80	4406
28	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	517/30.12.2022	बजरी	20995	17.00	1.52	25.84	80	2067
29	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	519/30.12.2022	रेत	30749	19.40	1.62	31.43	80	2514
30	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	519/30.12.2022	बजरी	24477.7	19.82	1.52	30.13	80	2410
31	हरी ओम कन्स्ट्रकशन ग्रुप,चैल चौक तहसील चच्योट जिला मंडी	902/23.01.2023	बोल्डर	19152	16.80	2.24	37.63	80	3011
32	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	518/30.12.2022	बजरी	30749	19.40	1.62	31.43	80	2514
33	ठाकुर दास गाँव सकरोहर डाकघर मोवी सेरी तहसील चच्योट	518/30.12.2022	रेत	24477.7	19.82	1.52	30.13	80	2410
				1147925.87					**103978**

21